very obvious. Certainly the idea is good. If we reach that stage when we can do that, it would certainly be good. But at the present moment we are going through a transitional period when most of the service conditions and other things are subject to the agreements between the trade unions and these banks. Naturally we will have to look at the problem of recruitment and promotions also in a different way. But I think we will have to give some time.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : May I know whether it has come to the notice of the Minister that even though the State Bank of India was nationalised in 1956, the Government's own orders regarding recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and reservations in the State Bank of India have not been carried out, and the percentage of employees belonging to these castes is very very small in the State Bank service ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, this question has been taken notice of by me personally and Government has taken many steps. I must assure the hon. House that there is improvement in this particular respect. I think within a few years possibly we will be able to say that the State Bank has come to the level of the other percentage.

SHRI T. V. ANANDAN : In the absence of uniform service conditions not only in the State Bank of India but also in all the nationalised banks, has not the attention of the hon. Minister been drawn to the fact that the Secretary of a nationalised bank is under suspension from 1965, although the pronouncements in courts are in favour of his being taken back to duty ? What action has the hon. Minister taken in this regard ? Does he intend to bring in uniformity of service conditions in all the nationalised banks in India?

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, as far as the specific case is concerned, I have no information with me at present. If he gives a separate question, I can answer about it. As far as uniformity in service conditions is concerned, I have already answered that question.

SHRI T. V. ANANDAN : The Minister has already got a representation not only from the party concerned but also from a Member of Parliament.

MR. CHAIRMAN : Next question.

नागर विमानन विभाग में अस्थायी कर्मचारी

*35. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** † :
श्री पीताम्बर दास :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री ओउम् प्रकाश त्यागी :
डा० भाई महावीर :
श्री मान सिंह वर्मा :
श्री ना० कृ० शेजवलकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन विभाग में प्रत्येक श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो 3 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं किन्तु अभी तक अस्थायी हैं ; और

(ख) उन कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

‡[TEMPORARY EMPLOYEES IN CIVIL AVIATION DEPARTMENT

*35. SHRI J. P. YADAV :
SHRI PITAMBER DAS :
SHRI PREM MANOHAR :
SHRI O. P. TYAGI :
DR. BHAI MAHAVIR :
SHRI MAN SINGH VARMA :
SHRI N. K. SHEJWALKAR :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of employees in each category in the Civil Aviation Department who have put in more than three years' service but are still temporary ; and

(b) when these employees will be made permanent ?]

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) श्रेणी I में इस प्रकार के आठ कर्मचारी हैं तथा श्रेणी II और III में उनकी संख्या क्रमशः 62 और 1337 है। श्रेणी IV के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri J. P. Yadav.

‡ [ ] English translation.

(ख) जब और जैसे जैसे स्थायी रिक्तिया उपलब्ध होती जाएगी, इन कर्मचारियो को स्थायी कर दिया जाएगा ।

†[THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR KARAN SINGH) (a) In Class I there are 8 such employees, while in Class II and III the number is 62 and 1337 respectively. Information in respect of Class IV staff is not readily available.

(b) The employees will be made permanent as and when permanent vacancies become available]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव · श्रीमन्, मै यह जानकारी चाहता हू कि अधिक से अधिक लोगो को, काम करने वालो को, स्थायी करने की केन्द्रीय सरकार की एक नीति है और यह नीति है कि जिनकी सर्विस तीन वर्ष की हो जाय कम से कम उनको, सभी को, स्थायी किया जाय तो कौन से कारण है—सिर्फ आपने स्थान बनाने की बात कही—तो और क्या कारण है जिनकी वजह से इतने ज्यादा कर्मचारियो को अभी तक पर्मानेन्ट जगह नहीं दी जा सकी ?

डा० कर्ण सिंह : सभापति महोदय, एक कारण तो यह है कि कुछ तो स्थान जो होते हे वे स्थान ही अस्थायी होते हे, टेम्पोरेरी वेकैंसीज होती है, तो जो मैने पार्ट ए मे चौदह सौ लोगो को बताया उनमे से 931 स्थान ही अस्थायी है इसलिये उनको तो स्थायी करने का प्रश्न उस समय उठेगा जब कि वे स्थान स्थायी हो जायेंगे । उसके अलावा कोई चार सौ, पाच सौ लोग रह जाते है और इनके लिये यही कारण होते है कि कोई कभी स्थान रिक्त नही होता, कही सीनियारिटी का प्रश्न आ जाता है, कही सेलेक्शन आदि का प्रश्न आ जाता है, लेकिन हमारा यत्न यही है कि जहा तक सम्भव हो सके तीन वर्ष के बाद शीघ्रातिशीघ्र उनको स्थायी कर देना चाहिये ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव इसके लिये जैसा कि आपने कहा कि नौ सौ के लिये तो विचार-विमर्श होगा लेकिन पाच सौ के लिये तो शायद विचार होगा ही नही, तो इन पाच सौ बेचारों की क्या स्थिति होगी ? ये तो भगवान के भरोसे ही रहेगे, भगवान के भरोसे पर ही उन्हे आप छोड़ रहे है । दूसरा मै यह जानना चाहता हू कि स्थायी होने पर और स्थायी नहीं होने पर दोनों मे जो आर्थिक घाटा उनका है यह आर्थिक घाटा सब लोगों का सब मिला कर कितना होगा ?

डा० कर्ण सिंह : जो भगवान में विश्वास करते है वह तो सभी कुछ भगवान पर ही छोड़ते है लेकिन जहा तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है उसके लिये जहा तक मेरी जानकारी है—अपने कर्मचारियों से मैने भी प्रश्न पूछा था कि फर्क क्या होता है तो मुझे बताया गया कि कोई अधिक इसमे हानि नही होती, बल्कि मुझे यह चीज बताई गई तो आश्चर्य हुआ कि यह भी सम्भव है कि सारी आयु ही अस्थायी रह जाय लेकिन फिर भी उनको पूरा सब मिलता है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : पेन्शन मे जाने पर दिक्कत होगी ।

डा० कर्ण सिंह : पेन्शन के भी आजकल विशेष रूल्स है । ऐसी बात नहीं है और जहां तक मेरी जानकारी है उनकी धनराशि में तत्काल कोई विशेष कठिनाई नही होगी ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आवास के सम्बन्ध मे ?

डा० कर्ण सिंह : उसमे भी यही स्थिति है ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि भगवान पर विश्वास करने वालों को अपनी समस्याये भगवान पर छोड़ देना चाहिए । मै समझता हू डाक्टर साहब विद्वान है, वह जानते है भगवान उसी की सहायता करता है जो स्वय अपनी सहायता करता है । मै उनसे जानना चाहता हू कि अस्थायी रूप से कर्मचारी जीवन-पर्यन्त उस पोस्ट पर रह सकता है । तो आपने स्थायी और अस्थायी, इन दोनो पोस्टों में अंतर किस आधार पर रखा है ? कार्य के आधार

† [ ]English translation.

पर किया है या वे क्षणिक पोस्ट हैं, अस्थायी सर्विसेज हैं, थोड़े दिन के लिए हैं, या आपने जानबूझ कर उन कर्मचारियों के साथ अन्याय कराने के लिए, काम लेते हुए और उनकी सुविधाओं का विचार ··· (*Interruption*) ··· जरा सुनें तो सही, मजदूरों का सवाल है, हर बात आप पार्टीबाजी पर क्यों लेते हैं ? यह गलत है । मैं पूछना चाहता हूं, यदि जीवनपर्यन्त वह अस्थायी रूप से कार्य करता रहेगा तो सरकार उसको सरकारी सुविधायें देने के लिए—जैसा आपने कहा आवास की हैं, पेन्शन की हैं, और बहुत सी सुविधायें हैं—कौन सा मापदण्ड रखा है ?

डा० कर्ण सिंह : सभापति महोदय, मूल बात यह है कि जो परमानेन्ट पोस्ट हैं, स्थायी पोस्ट हैं, उनके आधार पर हम स्थायी लोगों को रखते हैं । लेकिन जब कभी कार्य-भार अधिक रहता है तो कुछ अस्थायी पोस्ट्स की आवश्यकता होती है और अस्थायी पोस्ट पर अस्थायी लोगों को रखा जाता है । यह प्रश्न नहीं उठता है कि किसी कर्मचारी या कर्मचारी वर्ग के विरुद्ध काम करते हैं, बल्कि हमारा यत्न होता है कि जहां तक सम्भव हो, वे भी स्थायी हो सकें और यह हमारे मन्त्रालय में ही नहीं, जहां भी सरकारी विभाग होते हैं उनमें स्थायी और अस्थायी कर्मचारी होते हैं । यत्न यह होता है कि अस्थायी कर्मचारी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका किसी प्रकार से अहित न हो और इसका भी प्रयत्न किया जाता है कि 3 वर्ष के बाद यथाशीघ्र उनको स्थायी बनाया जाए ।

डा० भाई महावीर : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि यह जो तादाद उन्होंने बतायी, इनमें से सरकारी नौकरी में जो हैं, उनमें से सबसे ज्यादा देर अस्थायी रूप से काम करते हुए किन कर्मचारियों के मामले में हुई है, क्योंकि 3 साल की अवधि आपने बताई परन्तु क्या उसमें 12-12 साल, 15-15 साल वाले लोग भी हैं जो अस्थायी हैं ? अगर हैं, तो मैं जानना चाहता हूं और स्थायी पोस्ट बनाने की व्यवस्था क्या है ? क्या स्थायी पोस्ट संविधान में लिखी हुई बात पर निर्भर है कि ये स्थायी हैं और ये जब तक नहीं भरते तब तक बाकी अस्थायी रहेंगे ? क्या इसका परिणाम कार्य-क्षमता पर नहीं पड़ेगा ? जो आपने भगवान की बात कही है, जीवन की क्षण-भंगुरता को सामने रखा है कि इसलिए हमने अस्थायी रखा है—अगर यह बात है तो मुझे कुछ नहीं कहना । लेकिन जिनके ऊपर हर समय तलवार लटकती रहे कि अगर कहीं थोड़ी सी अपने अफसर की नाराजगी की नौबत आई तो उनको हटा दिया जाएगा, यह स्थिति क्या कार्य-क्षमता को घटाएगी नहीं ?

डा० कर्ण सिंह : भगवान का आह्वान तो आपके मित्र ने किया, मैंने तो केवल श्रद्धांजली अर्पित की थी । जहां तक प्रश्न है कि यह पोस्ट स्थायी कैसे बनते हैं तो बाकायदा गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया में बोर्ड्स बने हुए हैं जो ऐसे केसेज को देखते हैं और कुछ ऊंची पदवी के पोस्ट्स यू० पी० एस० सी० के पास जाने होते हैं । यह सब प्रोसीजर नोन है, यह नहीं है कि किसी की कृपा-दृष्टि हुई तो स्थायी कर दिया···

(*Interruption*)

डा० भाई महावीर : उसकी तादाद पूछी थी मैंने ।

डा० कर्ण सिंह : मूल प्रश्न यह पूछा गया था कि 3 वर्ष के भीतर कितने लोग ऐसे हैं । वह जानकारी मैंने दी । यह इसमें नहीं है कि 1400 में से कितने कितने वर्ष के हैं । लेकिन मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारा यत्न रहता है कि जो अस्थायी हैं उनको स्थायी कर दिया जाए, लेकिन उसमें पोस्ट की आवश्यकता होती है, सेलेक्शन की आवश्यकता होती है और उसने किस प्रकार से काम किया, इन सब बातों को देख कर किया जाता है ।

डा० भाई महावीर : जो मैंने कहा कार्य-क्षमता घटती नहीं है...

डा० कर्ण सिंह : कार्य-क्षमता घटती नहीं है ।

श्री मान सिंह वर्मा : मंत्री जी प्रश्न का उत्तर देने में बड़े सिद्ध हैं, लेकिन जो बात उनसे पूछी गई उसका जवाब अभी तक स्पष्ट

नहीं हो सका । आपने कहा यह कि लम्बे अर्से तक भी वह स्थान अस्थायी रह सकते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप यह महसूस करते हैं कि इतनी अधिक संख्या में स्थान अस्थायी हैं जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष की भावना बनी रहती है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से अस्थायी पद कब तक बने रहेंगे और इसके लिए भी कोई सीमा होनी चाहिये । यह बात ठीक है कि किसी भी डिपार्टमेंट में अस्थायी स्थान होते हैं, लेकिन उन्हें अस्थायी क्यों रखा जाता है । एक, दो से ज्यादा पदों की बात तो सोची जा सकती है और उन्हें अस्थायी बनाया भी जा सकता है, लेकिन आप यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इतनी अधिक संख्या में कर्मचारियों को अस्थायी पदों पर क्यों रखा गया है ।

डा० कर्ण सिंह : मैंने जैसे पहले आपको समझाया कि इस समय गवर्नमेंट आफ इंडिया में जो स्थिति है वह यह है कि तीन वर्ष से भी अधिक जो पोस्ट अस्थायी रहती है उनमें से 80 प्रतिशत को स्थायी बनाया जा सकता है और उसके मुताबिक कार्यवाही की जाती है । जहां तक कार्य करने का सम्बन्ध है, जो हमारे अस्थायी मुलाजिम हैं वे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि वे कोई कार्य अच्छा न कर रहे हों ।

SHRI BHUPESH GUPTA : Some time back some employees of the private Indian Airways had been absorbed by the Indian Airlines and some of us had taken some personal interest in this matter. I would like to know what happened to them in regard to their security of service and what happened to the other employees of the Indian Airways who were not absorbed by the Indian Airlines. When are they going to be absorbed ?

DR. KARAN SINGH : Although it does not directly relate to this question, the position is that Airways India was a private airline and when they folded the employees came to me and several Members of Parliament also spoke to me as to their absorption. I had then made it clear that Government of India could not take any legal or official responsibility for absorbing private employees, but we would look upon it as a humane problem and try to do what we could. In fact we went out of our way and relaxed some rules and regulations and certain number of such employees—I do not exactly remember how many, but it was certainly a fair percentage of those employees—have been absorbed. But there were some who were not absorbed. Our efforts will continue. I am not in a position to say when we will necessarily be able to absorb all of them.

SHRI VEERENDRA PATIL : May I know...

MR. CHAIRMAN : I have permitted you to put two questions, I believe you will have no objection to other people getting a chance.

SHRI S. D. MISRA : If he is interested, he should be given a chance.

MR. CHAIRMAN : If other people are also interested, then I must give a chance to them also.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : I would like...

MR. CHAIRMAN : I would not allow you also. I will call Shri Villalan

SHRI S. D. MISRA : On a point of order. If it is the intention of the Chair to put a restriction on the number of supplementaries...

MR. CHAIRMAN : That is not my intention.

SHRI S. D. MISRA : I would like to know whether it is your intention that one Member cannot put more than two questions...

MR. CHAIRMAN : It is not my intention.

SHRI S. D. MISRA : Then let it be recorded and noted here that...

MR. CHAIRMAN : You have not followed me. Please sit down...

SHRI S. D. MISRA : I find that there are some Members who can put any number of questions and that way there is some discrimination.

MR. CHAIRMAN : You have not understood me. If I find that there are Members who have not put a single question and quite large number of them, then I must give to those Members. I must have also regard to the time taken by one question. If I find that there are no new Members who have not

put any question, then I would allow Members who have already put questions another chance. He wants me to take a decision which is inelastic. I cannot give an inelastic ruling. It is my discretion.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Sir, my point of order is this : Just as they say that the King can do no wrong, the Chair also can do no wrong. If the Chair has by mistake called a Member, is it proper for the Chair to withdraw that permission ?

MR. CHAIRMAN: I have not called anybody.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: You called Shri Subramania Menon and then you asked him to sit down.

MR. CHAIRMAN: No, I have not called him. Yes, Mr. Villalan.

SHRI THILLAI VILLALAN: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the employees, whether temporary or permanent, of the Civil Aviation Department are selected by any machinery like the Union Public Service Commission or whether it has got its own machinery to select the temporary or permanent employees for itself ?

DR. KARAN SINGH: Sir, recruitment in the Civil Aviation Department is governed by the recruitment rules of the Government of India which vary from category to category. There are certain posts which should be filled by recruitment through the UPSC and there are certain other posts for which different methods of recruitment are laid down.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Shahi.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : सरकार की समाजवादी व्यवस्था में, जिसमें मजदूरों के लिए विशेष सुविधा और हर प्रकार की सहूलियत का ध्यान रखा जाता है, जो संख्या अस्थायी कर्मचारियों की मन्त्री महोदय ने बताई उनमें अस्थायी पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को स्थायी करने में क्या प्रगति हुई है, कहां तक उसमें कार्यवाही हो चुकी है और कितनी देर और लगेगी उन पदों को स्थायी करने में, क्या मन्त्री जी यह बताएंगे ?

डा० कर्ण सिंह : सभापति महोदय, जितने अस्थायी पद हैं उन सबके लिए हम यत्न कर रहे हैं और कार्यवाही अलग अलग तरीके से हो रही है और हमें आशा है कि यथाशीघ्र ये जो अस्थायी पद हैं वे स्थायी हो जाएंगे ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : यथाशीघ्र का तो कोई मतलब नहीं है ।

ADVANCEMENT OF LOANS TO FIRMS BY STATE BANK

*36. SHRI K. B. CHETTRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of firms which were sanctioned loans or advances to the tune of Rs 25,000 during the last three years by the Imphal Branch of the State Bank of India ; and

(b) whether these loans or advances were in accord with the normal policy of the Bank; if not, what action Government propose to take against the officers responsible for such irregularities ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) During the last three years 429 advances, not exceeding Rs. 25,000/- each, were sanctioned.

(b) It cannot be said that many of these advances are in accord with the normal policy of the Bank. The matter is under investigation of the Central Bureau of Investigation and the officer involved has been placed under suspension by the State Bank of India.

SHRI K. B. CHETTRI : Sir, may I know from the hon. Minister the number of firms which applied for such loans and advances and to whom such loans and advances were not sanctioned and the reasons therefor ?

SHRI Y. B. CHAVAN: Sir, I cannot give the information as to the firms to whom these were not sanctioned. I can certainly give the total number. Of course, it is very difficult for me to give the specific names, etc. So, I have given the total number of persons to whom such advances were sanctioned which is more than 400 or so.

DR. R. K. CHAKRABARTI: Sir, has the Ministry collected any information regarding what percentage of this total loan has been sanctioned by the State Bank to the small entrepreneurs, that is, out of the total loan sanctioned how much has gone to the small entrepreneurs ? I want to know this, Sir, because, as I understand, it is practically